भाग-III

हरियाणा सरकार

श्रम विभाग

अधिसूचना

दिनांक 9 जुलाई, 2019

संख्या का०आ० 53/के० अ० 53/1961/धा० 28/2019 .– हरियाणा प्रसूति प्रसुविधा नियम, 1967, को आगे संशोधित करने के लिए नियमों का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम 53), की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करते हैं, उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित, इसके द्वारा, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है।

इसके द्वारा, नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके बाद, सरकार नियमों के प्रारुप पर ऐसे आक्षेपों अथवा सुझावों, यदि कोई हों, सहित जो श्रम आयुक्त, हरियाणा, 30 बेज बिल्डिंग, सैक्टर–17, चण्डीगढ़ द्वारा नियमों के प्रारुप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं, पर विचार करेगी।

प्रारुप नियम

1. ये नियम हरियाणा प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) नियम, 2019, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा प्रसूति प्रसुविधा नियम, 1967 (जिसे, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 7 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जाऐगा, अर्थात्:–

"नियम 7क. शिशु–गृह – (1) पचास या उससे अधिक कर्मचारियों वाला प्रत्येक संस्थान, ऐसे कर्मचारियों के छह वर्ष से कम आयु के बच्चों के उपयोग के लिए, कार्य स्थल के आस–पास या चलने योग्य दूरी में अर्थात् संस्थान के प्रवेश द्वार से पाँच सौ मीटर की दूरी पर शिशु–गृह की सुविधा करेगी और उसकी देख–रेख करेगी:

परन्तु नियोक्ता, महिला कर्मचारी को शिशु–गृह के लिए चार दौरों की अनुमति देगा, जिसमें उसे अनुमत विश्राम अंतराल भी शामिल होगा:

परन्तु यह और कि ऐसा प्रत्येक अतिरिक्त दौरा बीस मिनट का होगा तथा इसके अतिरिक्त विश्राम के लिए नियमित अन्तराल अर्थात् तीस मिनट का होगा:

परन्तु यह और कि उपरोक्त प्रत्येक अतिरिक्त बीस मिनट का दौरा शिशु की पन्द्रह मास की आयु पूरी होने तक अनुज्ञात किया जाऐगा और उसके पश्चात् विश्राम के लिए केवल नियमित अन्तराल ही अनुमत होगा।

(2) शिशु–गृह की सुविधा, नियमित, अस्थायी, दैनिक मजदूरी, संविदात्मक, परामर्शदाता तथा ऐसे अन्य कर्मचारियों के शिशुओं के लिए उपलब्ध होगी।

(3) भवन, जिसमें शिशु–गृह स्थित है, का निर्माण मजबूत ढंग से किया जाएगा और उसकी सभी दीवारें और छत गर्मी प्रतिरोधी सामग्री से बनी होंगी तथा जलरोधक होंगी। शिशु–गृह का फर्श और अंदरुनी दीवारें इस प्रकार बनाई या सुसज्जित की जाएगीं जो बराबर अपारगम्य हों। शिशु–गृह इस प्रकार निर्मित किया जाएगा जो गर्मी, नमी, हवा तथा बरसात से उचित संरक्षण प्रदान करने वाला हो। अंदर की दीवारों को छह मास में एक बार पुताई की जाएगी तथा लकड़ी के सामान को हर तीन वर्ष में एक बार रंग–रोगन किया जाएगा।

(4) शिशु–गृह में छह से आठ वर्ग फीट प्रति बच्चे के लिए न्यूनतम जगह होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह बिना किसी बाधा के खेल, आराम और सीख सके। भवन के कक्षों की उचांई फर्श से छत के निचले हिस्से तक बारह फीट से कम नहीं होगी।

(5) ताजा हवा के सचांर के लिए पर्याप्त वायु–संचार को सुनिश्चित करने तथा बनाये रखने के लिए शिशु–गृह के प्रत्येक हिस्से में प्रभावी और उपयुक्त प्रावधान किया जाएगा तथा आपातकालीन पावर बैकअप से जुड़ी हुई पर्याप्त तथा उपयुक्त प्राकृतिक अथवा कृत्रिम रोशनी की व्यवस्था भी की जाएगी और बनायी रखी जाएगी।

(6) शिशु–गृह में स्नान–कक्ष, गंदे कपड़े या बिस्तर की चादर को धोने और सुखाने के लिए अलग जगह दी जाएगी। स्नान–कक्ष के साथ शौचालय तथा मूत्रालय की सुविधा दी जाएगी। स्नान–कक्ष, शौचालय तथा मूत्रालय साफ और स्वच्छ रखा जाएगा।

(7) जब कर्मचारी प्रतिष्ठान में काम कर रहें हों, शिशु–गृह हर समय, दिन और रात दोनों में, खुला रहेगा।

(8) शिशु–गृह में प्राथमिक उपचार तथा दवाई किट, पालना, बिस्तर सहित चारपाई, खाना बनाने की सुविधा, खाना बनाने के बर्तन, बच्चों को खाना खिलाने के बर्तन, प्रत्येक मां के लिए, जब वह अपने बच्चे को खिला रही हों या संभाल रही हों, कुर्सी/बैठने की व्यवस्था, खिलौनें/खेलने का सामान, शिक्षा/सीखने का सामान इत्यादि सुविधांए उपलब्ध करवाई जाएंगी।

(9) शिशु–गृह में प्रतिदिन, प्रत्येक बच्चें के लिए पीने का पानी तथा शुद्ध दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त दो साल से ऊपर के बच्चों के लिए जलपान की व्यवस्था की जाएगी।

(10) शिशु–गृह में बच्चों की देखभाल के लिए योग्य तथा पर्याप्त शिशु–गृह कर्मचारी जैसे कि महिला परिचारक, रसोईया, सफाईकर्मी, चौकीदार इत्यादि नियोजित किए जाएगें। एक प्रशिक्षित शिशु–गृह नर्स को शिशु–गृह का प्रभारी नियुक्त किया जाएगा। शिशु–गृह प्रभारी यह सुनिश्चित करेगा कि शिशु–गृह साफ तथा सुथरा हो, इसमें उपस्थित सभी शिशुओं की इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार उचित देखभाल हो, खिलाया जाता हो तथा साफ रखा जाता हो तथा उन्हें स्वच्छ और स्वस्थ आदते सिखाई जाती हों।

(11) शिशु–गृह में उपस्थित होने वाले शिशुओं की मासिक और उनकी नर्सिंग माताओं की दो मास में चिकित्सा जांच, अर्हक चिकित्सक व्यवसायी द्वारा की जाएगी। ऐसी जांच का रिकॉर्ड बनाए रखा जाएगा।

(12) शिशु–गृह का उपयोग शिशुओं, उनके परिचारकों, पर्यवेक्षी अमले तथा ऐसे अन्य व्यक्ति, जो शिशु–गृह में शिशुओं से संबधित या संबंधी हों, को छोड़कर, प्रत्येक व्यक्ति के लिए निर्बन्धित होगा।

(13) शिशु–गृह में उपस्थित होने वाले शिशुओं के विवरण का रिकॉर्ड तथा शिकायत रजिस्टर रखा जाऐगाः

परन्तु यदि मुख्य निरिक्षक की किसी भी कारण से सन्तुष्टि हो गई है कि नियोक्ता इन नियमों के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर शिशु–गृह उपलब्ध करवाने में असमर्थ है, तो वह ऐसे समय के भीतर, जो वह ठीक समझे, स्थायी संरचना के स्थान पर अस्थायी संरचना के निर्माण का अनुमोदन कर सकता है।

(i) यदि मुख्य निरीक्षक की राय है कि किसी प्रतिष्ठान में ऐसी परिस्थितियाँ हैं, जो इन नियमों के उपबन्धों की अनुपालना करने में न्यायसंगत व्यावहारिक नहीं हैं, तो वह लिखित आदेश द्वारा तथा ऐसी शर्तों, जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, के अध्यधीन प्रतिष्ठान को किसी भी उप–नियम के उपबन्ध से छूट दे सकता है;

(ii) यदि किसी मामले में, मुख्य निरीक्षक संतुष्ट हो जाता है कि किन्हीं संबधित कर्मचारियों को कोई भी असुविधा नहीं होगी, यदि प्रतिष्ठान के नजदीक कोई एकल शिशु–गृह उपलब्ध करवाया गया है, तो वह लिखित आदेश द्वारा ऐसी शर्तों, जो उस द्वारा आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, पर ऐसे प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं को संयुक्त रुप से एकल शिशु–गृह उपलब्ध करवाने के लिए प्राधिकृत कर सकता है।"।

3. उक्त नियमों में, नियम 8 में, उप–नियम (4) के बाद, निम्नलिखित उपनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्–

"(5) निरीक्षक को किसी भी समय शिशु–गृह का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।"।

विनीत गर्ग,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

LABOUR DEPARTMENT

Notification

The 9th July, 2019

No. S.O. 53/C.A. 53/1961/S. 28/2019.— The following draft of rules further to amend the Haryana Maternity Benefit Rules, 1967, which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred by section 28 of the Maternity Benefit Act, 1961(Central Act 53 of 1961), is hereby published as required by sub-section (1) of the said section for the information of all person likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft rules shall be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of forty-five days from the date of publication of this notification in the Official Gazette together with objections and suggestions, if any, which may be received by the Labour Commissioner, Haryana, 30 Bays Building, Sector-17, Chandigarh, from any person with respect to draft of rules before the expiry of the period so specified.

DRAFT RULES

1. These rules may be called the Haryana Maternity Benefit (Amendment) Rules, 2019.

2. In the Haryana Maternity Benefit Rules, 1967 (hereinafter called the said rules), after rule 7, the following rule shall be inserted, namely :-

"7A. Crèches- (1) Every establishment having fifty or more employee shall have and maintain the facility of crèche in the vicinity of the place of work or within a walk-able distance i.e. five hundred meter from the entrance gate of the establishment, for the use of children under the age of six years of such employees:

Provided that the employer shall allow four visits a day to the crèche by the woman employee, which shall also include the interval of rest allowed to her:

Provided further that every such additional visits shall be of twenty minutes each and in addition to the regular interval for rest i.e. thirty minutes:

Provided further that above said additional visits of twenty minutes each shall be allowed until the child attains fifteen months and thereafter only the regular interval of rest shall be allowed.

(2) The crèche facility shall be available to the children of regular, temporary, daily wages, contractual, consultant and other such employees.

(3) The building in which crèche is situated shall be soundly constructed and all the walls and roof shall be of heat resisting materials and shall be waterproof. The floor and internal walls of the crèche shall be so laid or finished as to provide a smooth impervious surface. The building of the crèche shall be so constructed as to afford adequate protection against heat, damp, wind and rain. The interior walls shall be lime-washed once in six months and the wood work shall be painted or varnished once in every three years.

(4) The crèche shall have a minimum space of six to eight square feet per child to ensure that they can play, rest and learn without any hindrance. The height of the rooms in the building shall be not less than twelve feet from the floor to the lowest part of the roof.

(5) Effective and suitable provision shall be made in every part of the crèche for securing and maintaining adequate ventilation by the circulation of fresh air and also provide and maintain sufficient and suitable natural or artificial lighting connected with emergency power back-up.

(6) Crèche shall be provided with closed wash-room, with separate space for washing and drying soiled clothes or bed linen. Adjoining the wash room, latrine and urinal shall be provided. The wash room, latrine and urinal shall be maintained in a clean and sanitary condition.

(7) The crèche shall remain open at all times, both by day and by night when employees are working at the establishment.

(8) Certain amenities shall be provided in crèche including first aid and medicine kit, cradles, cot with bedding, cooking facilities, cooking utensils, utensils to feed the children, chair/sitting accommodation for the

use of each mother while she is feeding or attending to her child, toys/play materials, teaching/learning materials etc.

(9) A wholesome of drinking water and pure milk shall be available for each child on every day who is accommodated in the crèche. For children above two years of age, they shall be provided in addition an adequate supply of whole some refreshment.

(10) Sufficient and adequate crèche staff i.e. female attendant, cook, sweeper, chowkidar etc. shall be employed for attending to children in the crèche. A trained crèche-nurse shall be appointed as a crèche-in-charge. The crèche-in-charge shall ensure that the crèche is kept in a clean and sanitary condition and that all children attending it are properly looked after, washed and fed in accordance with the provision of these rules and that they are taught clean and healthy habits.

(11) A monthly medical examination of the children attending the crèche and that of the nursing mothers in every two months shall be made by a qualified medical practitioner. Records of such examinations shall be maintained.

(12) Every person shall be restricted to use of the crèche except to children, their attendants, the supervisory staff and such other person as may be related to or concerned with children in the crèche.

(13) A record giving particulars of children attending a crèche and register of complaint shall be maintained in the crèche:

Provided that if the Chief Inspector is satisfied that by any reason, the employer is unable to provide within the stipulated period a crèche in accordance with the rules, he may approve the erection of a temporary structure to be replaced by a permanent structure within such time as he deemed fit.

(i) If the Chief Inspector is of opinion that the conditions in any establishment are such as to render compliance with the provision of these rules not reasonably practicable, he may be order in writing and subject to such conditions, as he may specify therein exempt the establishment from the provision of any sub-rule.

(ii) If in any case, the Chief Inspector is satisfied that no inconvenience shall be caused to the employees concerned, if a single crèche is provided to serve neighboring establishments, he may authorize by order in writing the employer of such establishments to provide jointly a single crèche and on such conditions, as he may specify in the order.

3. In the said rules, in rule 8, after sub-rule(4), the following sub-rule shall be added, namely :-

"(5) The inspector shall empower to inspect the crèche at any time.".

VINEET GARG,
Principal Secretary to Government Haryana,
Labour Department.

57160—C.S.—H.G.P., Chd.